T.S - 92/2022

12-2-24 प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गई। अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिर।
आवेदन दि0 9-10-23 पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से उक्त आवेदन पर कोई विरोध प्रकट न कर मौखिक सहमति प्रदान की गई है। वादी के द्वारा इसी आवेदन के अनुपालन में दिनांक 18-12-23 को इसी कारण का आवेदन दाखिल किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि विवादित भूमि के भौतिक स्थिति एवं वैज्ञानिक माप के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को न्यायालय द्वारा S.K.P.C. नियुक्त किया गया था। ~~वादी ने~~ ~~दि0~~ कार्यालय द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को दि0 - 12-5-23 को ही फीस प्राप्त कराया जा चुका है लेकिन उनके द्वारा विवादित स्थल का जाँच शुरू भी नहीं किया गया है वादी के द्वारा उनसे कई बार विवादित स्थल का जाँच करने का निवेदन किया गया है लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा टाल-मटोल किया जा रहा है उनके इस रवैया के कारण ~~वादी~~ वाद की अग्रतर कार्यवाही प्रभावित हो रही है। जिसके लिए न्यायहित में किसी दूसरे सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है अतः निवेदन है कि वर्तमान सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह का नाम संबंधी आदेश को वापस लेकर किसी दूसरे S.K.P.C. को नियुक्त किए जाने की कृपा की जाए

Cont.

7:5-92/22

प्रतिवादी अधिवक्ता

12-2-24

12-2-24
Cont.

प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दि० 9-10-23 पर कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया है तथा मौखिक सहमति प्रदान करते हुये विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह बात सत्य है कि वर्तमान S.K.P.C. श्री गजेन्द्र प्र० सिंह को विवादित भूमि के वैज्ञानिक पैमाइश का प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए उभयपक्ष की ओर से कई बार निवेदन किया गया है परंतु उनके द्वारा रीट प्राप्ति के पश्चात भी स्थल पैमाइश का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है जबकि रीट प्राप्त किये हुये छः माह से अधिक समय बीत चुका है। अतः किसी दूसरे सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किये जाने पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में श्री गजेन्द्र प्र० सिंह, S.K.P.C. नियुक्त किया गया है तथा कार्यालय द्वारा दि० 12-5-23 को रीट प्राप्त कराया जा चुका है लेकिन वादी एवं प्रतिवादी का कथन है कि उनके द्वारा विवादित स्थल के जाँच का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है जिससे वाद की कार्यवाही नहीं की जा रही है। ~~अतः न्यायालय~~ विवादित स्थल के बिना वैज्ञानिक माप के न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

Cont.

T.S.- 92/2022

12-2-24 Cont. [illegible] वादी की ओर से एवं आवेदक अधिवक्ता
आयुक्त नियुक्ति हेतु नामांकन पत्र का अवलोकन
दाखिल किये जाने के पश्चात माननीय जिला
न्यायाधीश, गाजीपुर को नामांकन हेतु पत्र
प्रेषित करें।

दि० 11-3-24 वास्ते दाखिल होने
नामांकन पत्र का अवलोकन

[illegible]